'Speed Post'

सं0- 02/2016/802/सोलह-2-2015-121(ई)/15

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

2- समस्त निदेशक,
अनुदानित इंजीनियरिंग कालेज,
उत्तर प्रदेश।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 15 जनवरी, 2016

विषयः- प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में सीधी भर्ती के पदों पर आरक्षण की गणना के संबंध में

महोदय,

राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण की गणना के संबंध में मुख्य सचिव की ओर से निर्गत कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-9/4/2/15/का-2/2015, दिनांक 28.08.2015 में यह व्यवस्था है कि राज्य के अधीन लोक सेवाओं और आरक्षण की गणना करते समय गणित के राउंडिंग आफ के सिद्वान्त को नहीं अपनाया जायेगा वरन् केवल पूर्णाकों को ही संज्ञान में लिया जायेगा तथा भिन्न (फ्रैक्शन्स) को नजरंदाज (इग्नोर) किया जायेगा। उक्त संदर्भ में प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में सीधी भर्ती के शैक्षणिक पदों पर आरक्षण की व्यवस्था के संबंध में विभिन्न श्रोतो से पृच्छायें की गयी है। संक्षेप में उक्त पृच्छायें निम्नवत हैः-

(1) क्या अनुदानित/सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कालेजों/बहुधंधी संस्थाओं जो पृथक-पृथक सोसाइटी बाइलाज के तहत स्थापित है, को एक इकाई मानते हुये इन संस्थाओं के संबंधित ट्रेडों को क्लब करते हुये आरक्षण की गणना की जायेगी ?

(2) क्या प्रत्येक अनुदानित संस्था में विभिन्न ट्रेडों में सृजित पदों को क्लब करते हुये उपलब्ध पदों/रिक्तियों के सापेक्ष आरक्षण की गणना की जायेगी ?

(3) सहायता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थायें जो पृथक-पृथक सोसाइटी रूल्स के अन्तर्गत पंजीकृत पृथक इकाईयां है तथा जिनके पद परस्पर स्थानान्तरणीय नहीं है। क्या इन संस्थाओं में शासनादेश दिनांक 26.02.1976 में उल्लिखित क्लस्टर बनाये जाने के नियम लागू होंगे ?

VS/V

2- उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 26.02.1976 के परिशिष्ट-8 में "पदों का सामूहीकरण" के परिप्रेक्ष्य में व्यवस्था उल्लिखित है। तद्नुसार पदों का सामूहीकरण (क्लस्टर) मुख्यतः उनके कार्य, प्रकृति, स्तर व वेतन के अनुसार किया जाना है तथा यह भी संज्ञान में लेना है कि उक्त पद अर्न्तस्थानान्तरणीय हो एवं सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यता भी समान हो। उक्त संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्थापित/संचालित प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के पद अर्न्तस्थानान्तरणीय नहीं है और विभिन्न ट्रेडों के पदों की शैक्षिक अर्हता भी पृथक-पृथक है। उक्त के दृष्टिगत इन संस्थाओं के पदों का सामूहीकरण किया जाना समीचीन नहीं है। अतएव पृथक-पृथक संस्था/इकाई के अंतर्गत ट्रेडवार पदों की संख्या को देखते हुये, आरक्षण प्रतिशत के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

3- कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. कुल सचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ/मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
3. निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, कानपुर।
4. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0।
5. समस्त सहायता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थायें (द्वारा निदेशक)।
6. कार्मिक अनुभाग-2 को उनकी सहमति के परिप्रेक्ष्य में।
7. प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1/3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।